

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्र०सं०- 12 / 2024 (Bank Case)

GCMS No. 2024/6

भारतीय स्टेट बैंक शाखा- आर.ए.सी.पी.सी., कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री हेमन्त पोरवाल।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

## बनाम

- श्री भगवानदास आसवानी पुत्र श्री ठाकुरदास आसवानी (ऋणी व बंधककर्ता)  
पता- ई-407, सिटी सेंटर हाईटस, बजरंग नगर, कोटा
- श्रीमती अंजली आसवानी पत्नी श्री भगवानदास आसवानी (सह-ऋणी)  
पता- ई-407, सिटी सेंटर हाईटस, बजरंग नगर, कोटा

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ  
फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 08.10.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा- आर.ए.सी. पी.सी., कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थी/ऋणी ने दिनांक 02.02.2015 को रु. 28,40,000/- (अक्षरे: रुपये अठठाईस लाख चालीस हजार मात्र) एवं दिनांक 01.07.2015 को रु. 2,66,000/- (अक्षरे: रुपये दो लाख छियाषठ हजार मात्र), एवं दिनांक 08.06.2016 को रु. 17,00,000/- (अक्षरे: रुपये सत्रह लाख मात्र) एवं दिनांक 26.09.2018 को रु. 8,00,000/- (अक्षरे: रुपये आठ लाख मात्र), इस प्रकार कुल ऋण रु. 56,06,000 (अक्षरे: रुपये छप्पन लाख छ हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में श्री भगवानदास आसवानी की अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं. ई-407, सिटी सेंटर हाईटस, बजरंग नगर, कोटा पर स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं: पूर्व में: बिल्डिंग सेटबैक, पश्चिम में: सीढिया एवं कोरिडोर उत्तर में: कोरिडोर फ्लेट नं० 405,406 नीचे फ्लेट नं० 307 दक्षिण में: बिल्डिंग सेटबैक, उपर फ्लेट नं० 507 है जो जरिये विक्रय अनुबंध दिनांक 22.3.16 से भगवानदास आसवानी पुत्र स्व० श्री ठाकुरदास आसवानी एवं श्रीमती अंजली आसवानी पत्नी श्री भगवानदास आसवानी के नाम से है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 17.05.2023 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 67,14,022/- (अक्षरे रुपये सडषठ लाख, चौदह हजार, बाईस मात्र) बकाया रकम दिनांक 08.06.2023 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि० किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अनुपरिथत रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 08.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 08.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता श्री भगवानदास आसवानी की अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं. ई-407, सिटी सेंटर हाईट्स, बजरंग नगर, कोटा पर स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं: पूर्व में: बिल्डिंग सेटबैक, पश्चिम में: सीढिया एवं कोरिडोर उत्तर में: कोरिडोर फ्लेट नं० 405,406 नीचे फ्लेट नं० 307 दक्षिण में: बिल्डिंग सेटबैक, उपर फ्लेट नं० 507 है जो जर्ज विक्रय अनुबंध दिनांक 22.3.16 से भगवानदास आसवानी पुत्र स्व० श्री ठाकुरदास आसवानी एवं श्रीमती अंजली आसवानी पत्नी श्री भगवानदास आसवानी के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।  
आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को सुनाया गया।



( पीयूष समारिया )  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)